

पत्र संख्या - पर्य०/यो० - 13/2025 -15...../

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाइट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक10...../.....06...../2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत खूँटी जिलान्तर्गत अड़की प्रखण्ड पंचायत बरड़ी निचकेल, ग्राम - उलिहातु में भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन कार्य हेतु ₹ 2,35,94,315.00 (दो करोड़ पैंतीस लाख चौरान्बे हजार तीन सौ पंद्रह रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत खूँटी जिलान्तर्गत अड़की प्रखण्ड पंचायत बरड़ी निचकेल, ग्राम - उलिहातु में भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन कार्य हेतु ₹ 2,35,94,315.00 (दो करोड़ पैंतीस लाख चौरान्बे हजार तीन सौ पंद्रह रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -75- पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-796-75-00-05-45) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह स्वीकृति उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक 85/पर्य०, दिनांक 25.04.2025 के आधार पर दी जा रही है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृत राशि से निम्न कार्य कराया जायेगा -

क्रमांक	अवयव के नाम	स्वीकृत राशि
I	Civil Works	₹ 10204137.00
II	Toilet Building	₹ 362351.00
III	Plumbing & Sanitary Works	₹ 92757.00
IV	Septic Tank	₹ 59883.00
V	Boring (01 No.)	₹ 257168.00
VI	Electrical Works	₹ 3551805.00
VII	Landscaping Work	₹ 5017309.00
Sub-Total (A)		19545410.00
Add 18% GST on (A)		₹ 3518174.00
Sub-Total (B)		₹ 23063584.00
Add 1% Labour Cess		₹ 230636.00
Sub-Total (C)		23294220.00
Add Consultancy on 'A'		
Fee @ 1.35% upto 1 Crore		₹ 135000.00
Fee @ 1.25% Above 1 Crore to 5 Crore		₹ 119318.00
Sub Total		₹ 254318.00
Add GST @ 18%		₹ 45777.00
Total		₹ 300095.00
Grand Total		₹ 23594315.00

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपायुक्त, खूँटी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, खूँटी से की जायेगी।

6. उपायुक्त, खूँटी इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार मदवार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।

8. योजना के कार्यान्वयन यह सुनिश्चित किया जाए कि भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन का कार्य कराया जाए।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. राशि का विचलन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

11. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

12. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन के प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक राशि का कार्य नहीं किया जायेगा।

13. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

14. योजना कार्यान्वयन सरकारी भूमि पर कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।

15. उपायुक्त, खूँटी योजना कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत् हस्तांतरण जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, खूँटी को करेंगे एवं जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् निर्मित होने वाले संरचनाओं का समुचित प्रबंधन, रख-रखाव, संचालन एवं होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

16. उपायुक्त, खूँटी एवं संबंधित जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

Handwritten signature

— 03 —

17. उपायुक्त, खूँटी योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

18. दिनांक 31.12.2026 तक योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. इस पर मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार)
9/6/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/यो० - 13/2025 -15...../राँची, दिनांक10.06.2025...../

प्रतिलिपि - उपायुक्त, खूँटी/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, खूँटी/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनीष कुमार)
9/6/25

सरकार के सचिव



100

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 705

पत्रांक संख्या :- 15

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 10/06/2025

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

MANOJ KUMAR
SECRETARY
RANCHI

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : खूँटी जिलान्तर्गत अड़की प्रखण्ड पंचायत बरड़ी निचकेल, ग्राम - उलिहातु में भगवान
बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप
परिवर्तन व संवर्धन कार्य

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 46 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)
मुख्यशीर्ष - 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□2,35,94,315.00
कुलराशि :-	□2,35,94,315.00

99 विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
46S545280796750545	75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास	45 - निर्माण कार्य	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी LOKESH MISHRA (KHNDADK01), D.C.KHUNTI होंगे तथा राशि ☐ 2,35,94,315.00/- की निकासी Khunti कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

उपायुक्त,
खूँटी।

राँची, दिनांक18/06/2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत खूँटी जिलान्तर्गत अड़की प्रखण्ड पंचायत बरड़ी निचकेल, ग्राम - उलिहातु में भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन कार्य हेतु कुल ₹ 50,00,000.00 (पचास लाख रु०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 15, दिनांक - 10.06.2025 एवं उपायुक्त, खूँटी का पत्रांक 85/पर्य०, दिनांक 24.04.2025

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश तथा प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -75- विभिन्न पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45 - निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-796-75-00-05-45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विषयांकित कार्य हेतु ₹ 50,00,000.00 (पचास लाख रु०) आवंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, खूँटी से की जायेगी।
3. योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, खूँटी के माध्यम से कराया जायेगा।
4. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत राशि के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में कराया जाएगा तथा योजना पुनरीक्षण सामान्यतः नहीं किया जाएगा। अतिआवश्यक होने पर अपवाद की स्थिति में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम स्तर से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।
5. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।
6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(Handwritten Signature)

7. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

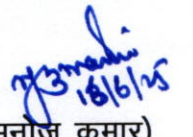
8. योजना के कार्यान्वयन यह सुनिश्चित किया जाए कि भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म स्थली का सौन्दर्यीकरण व ग्रामीण-सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन का कार्य कराया जाए।

9. उपायुक्त, खूँटी योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. उपायुक्त, खूँटी समय - समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

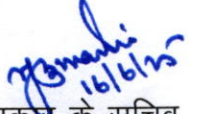
11. प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2026 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।


(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - पर्यटन/यो० - 13/202517...../राँची, दिनांक.....18.06.2025...../

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, खूँटी/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

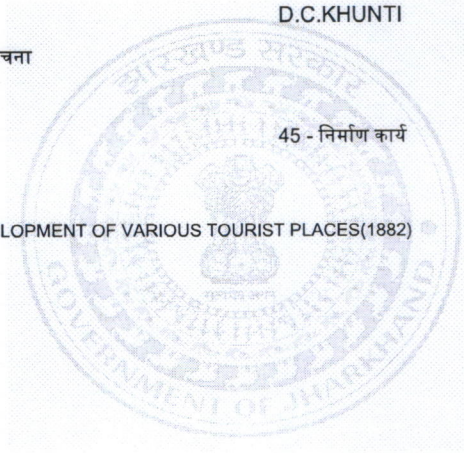
Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - PAR/YO-13/2025/17

दिनांक - 18-Jun-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 54528079675000545 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास 00-NA 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF VARIOUS TOURIST PLACES(1882) Central Scheme : NA	35931	KHNDADK01 R. RONITA D.C.KHUNTI 45 - निर्माण कार्य	5,000,000.00 रुपये पचास लाख



योग: रुपये पचास लाख

5,000,000.00

क्रमिक योग:

(MANOJ KUMAR)

SECRETARY